संख्या-48/2015/1422/35-3-2015-1(33)/2015टी0सी0

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक 03 नवम्बर, 2015**

विषयः वित्तीय वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डेटाबेस को अद्यतन करने एवं एनपीआर डेटाबेस में आधार नम्बर सीडिंग कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-37/2015/1374/35-3-2015-1(33)/2015 टी0सी0 दिनांक 26 अक्टूबर 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को उक्त प्रकार आवंटित धनराशि को समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारियों को सेन्ट्रर सर्वर में इन्ट्री हेतु आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक को अधिकृत किया जाता है।कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव ।

संख्याः48/2015/1422(1)/35-3-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
2- प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- महालेखाकार (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, जनगणना भवन, प्लाट संख्या-सी0सी0-1,सेक्टर जी, अलीगंज लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

9- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगरपंचायत, उत्तर प्रदेश (द्वरा निदेशक, स्थानीय निकाय)।

10- निदेशक, स्थानीय निकाय, 8वॉ तल इन्दिरा भवन, लखनऊ।

11- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-5

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

13- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।